RIGHT TO INFORMATION

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE
FORM –'D'
REJECTION ORDER
(See Rule 4(2))

No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 9 **Indore, Dated 03-01-2023**

प्रेषक :

ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम),
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर

प्रति,

श्री सुरेश भटेवरा (एडव्होकेट),
पता–4/5, महालक्ष्मीनगर (एनेक्स),
कालिकामाता मंदिर के पास,
जिला–रतलाम (म.प्र.)–पिन–457001
मोबाईल नंबर– 9425990514,
8770275816

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में अधिसूचना को संबोधित करने के लिए कृपया आपका आवेदन जो कि हमारे आवक क्रमांक 3731 दिनांक 28/12/2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ होकर आई.डी. संख्या 48/2022–2023 दिनांक 28/12/2022 (आपके द्वारा भेजे गए पंजीकृत डाक नं.–RI647040560IN के अनुसार श्रीमान् रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को संबोधित) में पंजीकृत है देखें।

आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी है :–

"चाही गई जानकारी का विवरण – प्रार्थिनी सुश्री खुशबू सोलंकी पिता जगदीश सोलंकी निवासी–गायत्री कालोनी जुलवानिया, तहसील राजपुर, तहसील बड़वानी (म.प्र.) द्वारा श्रीमान् के कार्यालय में दिनांक 23.11.2020 को एक अभ्यावेदन पत्र डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया था। उक्त अभ्यावेदन पत्र के संबंध में श्रीमान् मुझ आवेदक को नीचे लिखे बिन्दुओं की जानकारी का विवरण प्रमाणित प्रति के रूप में क्रमवार डाक के माध्यम से नियमानुसार मेरे उल्लेखित पते पर प्रेषित करें। (आवेदक के पते का लिफाफा मय डाक टिकिट एवं इकनालेजमेन्ट के आवेदन के साथ प्रेषित कर रहा हूँ। जिसमें वांछित जानकारी मुझ आवेदक को प्रेषित की जावें।
1) प्रार्थिनी द्वारा उक्त अभ्यावेदन पत्र श्रीमान् को उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत या प्रेषित किया गया या नही ?
2) यदि प्रार्थिनी द्वारा अभ्यावेदन पत्र प्रस्तुत या प्रेषित किया गया तो श्रीमान् द्वारा आज दिनांक तक उस पर कार्यवाही की गई है या नहीं ?
3) यदि कार्यवाही की गई हो तो कार्यवाही का विवरण ?"

उपरोक्त चाही गयी जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदाय नहीं की जा सकती है :–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 घटित किया है जिसके नियम 7 (1) (A) (ii) के अनुसार एक नागरिक आवेदन को 50/– रू शुल्क का भुगतान गैर न्यायिक स्टाम्प या ट्रेजरी चालान–रूप में तथा फॉर्म "ए" पर आवेदक की स्वयं की साक्षांकित तस्वीर चिपकाना आवश्यक है लेकिन आपने फॉर्म नंबर "ए" में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और आप तस्वीर प्रमाणित करने में भी विफल रहे है और 50 रू. का भारतीय गैर–न्यायिक स्टाम्प को संलग्न करने के बजाय आपने भारतीय पोस्टल आर्डर नं. 59F 603594 रू 10/– का प्रस्तुत किया हैं व साथ ही स्वयं का नाम व पता रबर सील से लिखा हुआ एक खाली लिफाफा जिसपर रू. 5/– के पाँच डाक टिकट (कुल 25/– रू. के Overlapped Dak Tickets) लगे है और साथ ही एक AD जिसके एक तरफ स्वयं का नाम व पता रबर सील से लिखा हुआ है व दुसरी तरफ रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर (म.प्र.) लिखा हुआ है जो कि मूलतः ही आपको वापिस किया जा रहा हैं।
2. चाही गयी जानकारी पृच्छा/प्रश्नात्मक श्रेणी की होने से सूचना की परिधि में नहीं आती है अतः प्रदान नहीं की जा सकती।

03.01.23 JR(M)

निरन्तर...2 पर

3. चाही गयी जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी की परिधि में आने के साथ ही व्यक्तिगत सूचना की परिधि में भी आती है एवं इसका प्रकटन किसी विस्तृत लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है। चाही गयी तृतीय पक्ष की जानकारी के प्रकटन से उस पक्ष की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण हो सकता है। अतः उक्त जानकारी प्रदाय के संबंध में आपके अनुरोध को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) अंतर्गत अस्वीकार किया जाता हैं।
4. सूचना का अधिकार अधिनियम में अधिवक्ता को क्लाईन्ट की ओर से आवेदन दाखिल करने का प्रावधान नहीं होने से आपके द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दी जा सकती हैं।

सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इंदौर) को अपील कर सकते हैं।

संलग्न :— 1. मूल भारतीय पोस्टल आर्डर नं. 59F 603594 रू 10/—
2. मूल स्वयं का नाम व पता रबर सील से लिखा हुआ एक खाली लिफाफा जिसपर रू. 5/— के पाँच डाक टिकट (कुल 25/— रू. के Overlapped Dak Tickets) लगे हैं।
3. एक मूल AD जिसके एक तरफ आपका स्वयं का नाम व पता रबर सील से व दूसरी तरफ रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर लिखा हुआ हैं।

02.01.2023

(राजेश कुमार शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी—सह—ज्वाईंट रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर